राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 1042/2011/श्रीगंगानगर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर.

....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स उमा फ्लोर मिल्स, उद्योग विहार, श्रीगंगानगर.

....प्रत्यर्थी.

<u>एकलपीठ</u> श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा, उप-राजकीय अभिभाषक श्री एस. एम. पेडीवाल, अभिभाषक

......अपीलार्थी की ओर से.

....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 26/11/2015

निर्णय

- 1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील संख्या 66/आरवेट/श्रीगंगानगर/09—10 में पारित किये गये आदेश दिनांक 19.10.2010 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा गया है) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2006—07 के लिये वेट अधिनियम की धारा 25, 18, 55, 58 व 61 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 26.03.2009 को अपास्त करते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की है।

एन्टरप्राईजेज का पंजीयन दिनांक 01.04.2006 से निरस्त कर दिये जाने के कारण उक्त फर्म से की गई खरीद के पेटे चुकाये गये वैट का आई.टी.सी. रूपये 40,340/— रिवर्स करते हुए धारा 61(2)(ए) के तहत शास्ति रूपये 1,61,360/— एवं ब्याज रूपये 11,900/— का आरोपण किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी द्वारा माननीय राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टान्त (2009) 23 टैक्स अपडेट 360 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड्स लिमिटेड में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

- बहस के दौरान विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण के समानान्तर प्रकरण (माननीय कर बोर्ड के मैसर्स दुर्गेश्वरी फुड लिमिटेड, श्रीगंगानगर की अपील संख्या 590-591/2008/श्रीगंगानगर में पारित निर्णय दिनांक 13.3.2009) के विरूद्ध विभाग द्वारा प्रस्तुत सेल्स टैक्स निगरानी याचिका आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 के अभिनिर्णय में वेट अधिनियम की धारा 18(1) के विशिष्ट प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत प्रकरण में सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कच्चे माल गेहूं से निर्मित कर मुक्त माल चौकर की बिक्री की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुज्ञेय नहीं होने से रिवर्स टैक्स आरोपण को विधिसम्मत माना गया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से आलौच्य अवधि में गेहूं की खरीद पर क्लेम किये गये समग्र इनपुट टैक्स क्रेडिट में से कर मुक्त माल चौकर की बिक्री पर आई.टी.सी. की देयता नहीं मानते हुए इसका रिवर्स टैक्स व ब्याज आरोपित किये जाने में कोई विधिक भूल नहीं की गई है।
- 4. अग्रिम कथन किया कि कर निर्धारण के वक्त कर निर्धारण अधिकारी ने पाया था कि प्रत्यर्थी के विक्रेता व्यवहारी मैसर्स मनीष एन्टरप्राईजेज का पंजीयन भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 01.04.2006 से निरस्त किया जा चका था तथा विक्रेता द्वारा कर राजकेष में जमा नहीं कराया गया था, इसलिए नियमानुसार आई.टी.सी. अस्वीकार करते हुए शास्ति भी आरोपित की थी, जो कि विधिसम्मत थी। अग्रिम कथन किया कि वेट अधिनियम की धारा 18(2) अनुसार आई.टी.सी.

5 Toes

का समायोजन तभी स्वीकार किया जा सकता है, जबकि विक्रेता राजकोष में कर जमा करा दे। प्रस्तुत प्रकरण में विक्रेता द्वारा कर जमा नहीं कराया गया है, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा रिवर्स टैक्स, ब्याज व शास्ति आरोपण में कोई भूल नहीं की थी, फिर भी अपीलीय अधिकारी ने प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार करते हुए रिवर्स टैक्स, ब्याज व शास्ति को अपास्त कर विधिक भूल की है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

- 5. बहस के दौरान प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि व्यवहारी द्वारा राज्य के भीतर वेट चुकाकर गेहूं का क्रय किया जाकर इससे मैदा व सूजी का निर्माण किया गया है तथा इस निर्माण प्रक्रिया में चौकर एक आवश्यक बाई—प्रोडक्ट है। व्यवहारी द्वारा मैदा व सूजी विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल के मूल्य पर समग्र आई.टी.सी. विधिनुसार क्लेम किया गया था, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त कच्चे माल से निर्मित कर मुक्त चौकर की बिक्री पर आई. टी.सी. की देयता नहीं मानते हुए रिवर्स टैक्स, ब्याज एवं धारा 61 के तहत शास्ति आरोपित किये जाने में विधिक त्रुटि की गई थी। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित रिवर्स टैक्स, ब्याज एवं शास्ति को उचित रूप से अपास्त किया गया है।
- 6. विद्वान अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के सभी पहलूओं पर पूर्ण विचार करने के उपरान्त अपील स्वीकार की है। प्रत्यर्थी व्यवहारी के विक्रेता व्यवहारी का पंजीयन भूतलक्षी प्रभाव से बाद में निरस्त किया गया था तथा उसके द्वारा जारी वेट इन्वॉयस भी फर्जी नहीं थे। यह तथ्य कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत जवाब में भी स्पष्ट किया जा चुका था। अग्रिम कथन किया कि व्यवहारी के विक्रेता द्वारा कर राजकोष में जमा नहीं कराने का उत्तरवायित्व प्रत्यर्थी पर नहीं डाला जा सकता। जैसा कि वेट अधिनियम की धारा 16(6) के तहत विहित है कि पंजीयन निरस्त होने के बावजूद भी उन विक्रेताओं का कर दायित्व समाप्त नहीं हो जाता। अग्रिम कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा क्रीत माल के संव्यवहार सद्भावी होने की स्थिति में रिवर्स टैक्स, ब्याज तथा धारा 16(2)(बी) के तहत शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती। इसलिए अपीलीय अधिकारी ने व्यवहारी की अपील स्वीकार कर कोई विधिक भूल नहीं की है।
- उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा कर निर्धारण अधिकारी व
 अपीलीय अधिकारी की पत्राविलयों का अवलोकन किया गया।

- 8. प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राज्य के पंजीकृत व्यवहारियों से वेट चुकाकर खरीद किये गये गेहूं का उपयोग मैदान व सूजी के निर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में किया गया है, जिसमें चौकर कर मुक्त उत्पाद है; जिसका राज्य के भीतर एवं राज्य के बाहर विक्रय किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलौच्य अवधि के दौरान प्रत्यर्थी की ओर से कच्चे माल के रूप में वैट चुकाकर खरीदे गये उक्त गेहूं के मूल्य पर क्लेम किये गये समग्र इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे पर विचारण के पश्चात वेट अधिनियम की धारा 18(1) के प्रावधानों के आलोक में विक्रय किये गये कर योग्य माल के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल के मूल्य पर इनपुट टैक्स क्रेडिट देय होने एवं कर मुक्त बिक्रीत माल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट देय नहीं होना मानते हुए इस पर रिवर्स टैक्स एवं वेट अधिनियम की धारा 61(2)(बी) के तहत शास्त्रि का आरोपण किया गया है। व्यवहारी की ओर से कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अपीलीय अधिकारी द्वारा स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्त्रित को अपास्त किया गया है।
- 9. इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 के अवलोकन से स्पष्ट है कि मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर की अपीलों में पारित निर्णय दिनांक 13.3.2009 के विरुद्ध विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई एस.बी.सिविल सेल्स टैक्स रिवीजन पिटिशन संख्या 193—194/2009 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 8.12.2011 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर पैरा 20, 21 व 22 में प्रतिपादित सिद्धान्त निम्न प्रकार है :-
 - "20. In the considered opinion of this Court, therefore, in view of specific provisions contained in Section 18 of the VAT Act of 2003, the ratio of the judgments relied upon by the learned counsel for the respondent-assessee would in fact support the case of the Revenue, and as a necessary corollary, it deserves to be held following these aforesaid judgments, that input tax credit in the present case, was rightly reduced and was allowed only proportionately to the extent of manufacturing and sale of taxable goods by the assessee in the present case, namely, "Aata", "Maida" and "Suji", manufactured out of raw material (wheat) and such input tax credit could not be allowed to the extent of sale of VAT exempted goods, namely, wheat bran (Chaff/Chokar), which has been assessed by the Assessing Authority to the extent of 25% of the input tax credit and reverse tax has been imposed on the respondent-assessee.

4 Tebl


- 21. Therefore, as far as impugned order of learned Tax Board dated 13.03.2009 to the extent of setting aside the imposition of reverse tax disallowing the proportionate input tax credit is concerned, the same cannot be sustained and deserves to be quashed by this Court, and to that extent the revision petitions filed by the petitioner-Revenue deserve to be allowed.
- 22. However, as far as question of penalty u/s 61 of the Act is concerned, the imposition of the same by the Assessing Authority under Section 61 of the Act of 2003 to the extent of double the amount of tax is concerned, the same cannot be sustained and deletion of penalty in these circumstances, where a debatable question was agitated by the respondent-assessee before the appellate forums created under the Act, it cannot be said that the assessee deliberately filed wrong returns or particulars of taxable turnover or malafide claimed 100% input tax credit. A benefit of doubt in this regard certainly goes in favour of respondent-assessee."
- 10. माननीय उच्च न्यायालय के उक्त अभिनिर्णय में व्यवहारी को कर मुक्त उत्पाद के अनुपात में इनपुट टैक्स क्रेडिट अस्वीकार करते हुए रिवर्स टैक्स आरोपण की सीमा तक कर बोर्ड का विवादित आदेश दिनांक 13.3.2009 अपास्त किया जाकर व्यवहारी की ओर से इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा एवं इसके रिटर्न अथवा विशिष्टियां जानबूझकर प्रस्तुत नहीं करना मानते हुए व्यवहारी के विरुद्ध धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति आरोपण को अनुचित मानकर इस सीमा तक कर बोर्ड के आदेश की पुष्टि की गई है।
- 11. माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के अनुसरण में हस्तगत प्रकरण में भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा चौकर की बिक्री के अनुपात में आरोपित रिवर्स टैक्स रूपये 7,007 /— व ब्याज रूपये 2,067 /— की पुष्टि करते हुए इस सीमा तक अपीलीय अधिकारी का आदेश अपास्त किया जाता है तथा धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति राशि रूपये 14,014 /— को अपास्त किये जाने की सीमा तक अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।
- 12. जहां तक विक्रेता व्यवहारी मैसर्स मनीष एन्टरप्राईजेज से की गई खरीद पर चुकाये गये वैट के आई.टी.सी. का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली से स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा वर्ष 2006—07 में मैसर्स मनीष एन्टरप्राईजेज हनुमानगढ़ से गेहूं क्रय किया जाना दर्शाया है। जांच में यह तथ्य पाया गया कि व्यवहार में मैसर्स मनीष एन्टरप्राईजेज का जन्म ही नहीं हुआ है, बल्कि करापवंचन के आशय से केवल कागजों में फर्म का अस्तित्व था। फर्म के घोषित व्यवसाय स्थल पर कभी

 व्यवसाय नहीं किया गया। इसके साथ ही उक्त फर्म का पंजीयन प्रमाण-पत्र दिनांक 01.04.2006 से ही निरस्त किया जाना निर्विवादित है। इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने संव्यवहार सद्भावी प्रमाणित नहीं होने के कारण तथा विक्रेता व्यवहारी द्वारा वैट जमा नहीं कराने के कारण आई.टी.सी. अस्वीकार कर रिवर्स टैक्स व ब्याज आरोपित किया तथा धारा 61(2)(बी) के तहत शास्ति आरोपित की गई थी। अपीलीय अधिकारी ने समस्त संव्यवहारों को सद्भावी मानते हुए तथा वेट अधिनियम की धारा 16(6) के आलोक में प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार की गई है।

13. वेट अधिनियम की धारा 18(2) अनुसार आगत कर का समायोजन किये जाने हेतु विक्रेता द्वारा आगत कर जमा कराया जाना आवश्यक है तथा उपधारा (3) अनुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा संव्यवहार सद्भावी प्रमाणित कराने का दायित्व व्यवहारी पर डाला गया है। अधिनियम की धारा 18(2) व (3) उद्धरित करना समीचीन होगा :--

18. Input Tax Credit. -

- (1)
- (2) The claim of input tax credit shall be allowed on the tax deposited on the basis of original VAT invoice within three months from the date of issuance of such invoice. However, claim of input tax credit of the additional tax deposited may be allowed on the basis of VAT invoice which has been issued subsequently in compliance with the decision of any competent court or authority, showing the tax at higher rate. If the first original VAT invoice is lost, input tax credit may be allowed on the basis of a duplicate copy thereof, subject to such conditions as may be prescribed.
- (3) Notwithstanding anything contained in this Act, no input tax credit shall be allowed on the purchases-
 - (i) from a registered dealer who is liable to pay tax under subsection (2) of section 3 or who has opted to pay tax under section 5 of this Act; or
 - (ii) of goods made in the course of import from outside the State; or
 - (iii) where the original VAT invoice or duplicate copy thereof is not available with the claimant, or there is evidence that the same has not been issued by the selling registered dealer from whom the goods are purported to have been purchased; or
 - (iv) of goods where invoice does not show the amount of tax separately; or



लगातार.....7

- (v) where the purchasing dealer fails to prove the genuineness of the purchase transaction, on being asked to do so by an officer not below the rank of Assistant Commercial Taxes Officer authorised by the Commissioner.
- 14. माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त (2013) 64 वी.एस. टी. 234 पैकवेल इण्डस्ट्रीज बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक में निम्न निष्कर्ष दिया गया है:-

Held, dismissing the petition, that on verification of the records the authorities found that on date of the purchase made by the petitioner, the selling dealers were de-registered. The whereabouts of them were also not known. Hence, it was clear that the petitioner had made transactions with bogus and fake dealers, and availed of the input-tax rebate on the basis of the fake tax invoices. The selling dealers had not filed any declarations nor remitted the tax collected from the petitioner. The petitioner had not furnished reliable and proper information about the existence of the sellers. Section 70(1) of the Act, cast burden of proof on the dealer who claimed exemption or inputtax rebate. Further it was clear from the records that the petitioner had not produced any materials to show that the dealer with whom the petitioner has made transaction had remitted the tax collected from it as required under section 70, thought the petitioner has been making transaction with the dealers for more than three years. Therefore the petitioner was not entitled to claim input-tax rebate and was liable to pay the penalty and interest under sections 72(2) and 36, respectively, of the Act. Thus there was not infirmity or irregularity in the order passed by the Tribunal.

15. माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय ने पंजीयन प्रमाण-पत्र के सन्दर्भ में न्यायिक दृष्टान्त (1965) 16 एस.टी.सी. 271 (उड़ीसा) नौरंगलाल अग्रवाल बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा में निम्न निर्णय पारित किया गया है :-

"Even as regards proprietary interest it was held as early as 1899 in Prosunno Coomar Roy v. The Secretary of State for India in Council4, that any conduct of a Government servant in violation of his duty, will not operate as estoppels against Government. This principle has been followed in Secretary of State for India v. Faredoon Jijibhai Divecha 5, where it was held that the mistaken interpretation of a grant by officers of Government and the consequent mistaken acts would not operate as estoppels as against the Crown. Here, it has been found as a fact that persons who had no business at all succeeded in obtaining certificates of registration from the Sales Tax Authorities either due to the

J-TEEL.

negligence or with the connivance of the Sales Tax Authorities and hence the grant of certificates of registration to them should be held to have been made by mistake. The Sales Tax Authorities had no jurisdiction to grant such certificates to fictitious persons or to persons who had no business. Hence though these persons may technically be said to be holders of registration certificates, nevertheless, in the eye of law, they cannot be held to be registered dealers because they have not been "validly" registered under the provisions of the Act and any mistake committed by the subordinate officers of the Sales Tax Department either due to negligence or due to collusion, cannot, on general principles, operate as estoppels against Government.

16. इसी प्रकार का मत माननीय राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 1248, 1249/2013/अलवर मैसर्स राज मोटर्स मशीनरी स्टोर्स, अलवर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत—बी, अलवर में पारित निर्णय दिनांक 19.08.2014 (40 टैक्स अपडेट 124) में प्रतिपादित किया गया है।

17. हस्तगत प्रकरण में प्रत्यर्थी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 18 अनुसार विवादित विक्रेता द्वारा वैट जमा कराने का कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि आई.टी.सी. स्वीकार हेतु आवश्यक है। उक्त विधिक प्रावधानों के आलोक में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मैसर्स मनीष एन्टरप्राईजेज से की गई खरीद के पेटे चाहे गये आई.टी.सी. को रिवर्स करते हुए, रिवर्स टैक्स, ब्याज व शास्ति का आरोपण उचित प्रकार से किया गया है, जिसे अपास्त किये जाने में अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक त्रुटि की गयी है। अतः इस सीमा तक कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की पृष्टि करते हुए, अपीलीय आदेश अपास्त किया जाता है।

15. उपरोक्तानुसार अपीलार्थी राजस्व की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

16. निर्णय सुनाया गया।

क्रिकाहर पुरी)